

कार्यालय राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।

पत्र संख्या:न-01/2020,

दिनांक:जनवरी 23 ,2021

नीलामी विज्ञापित सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निष्प्रयोज्य घोषित राजकीय वाहनों की नीलामी दिनांक 15.02.2021 को समय 11.00 बजे पीएमटी वर्कशॉप सीतापुर परिसर में की जायेगी जिसका विवरण व मुख्य शर्तें निम्नवत् है-

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	माडल वर्ष
1	यूएमएल-9644	टाटा ट्रक	1987
2	यूपी32एटी-4555	एम्बेसडर कार	2002
3	यूपी21-1187	एम्बेसडर कार	2002
4	यूपी32बीजी-0096	एम्बेसडर कार	2004
5	यूपी32बीजी-1787	एम्बेसडर कार	2006
6	यूपी32एजी-0528	एम्बेसडर कार	2008
7	यूपी32एजी-0530	एम्बेसडर कार	2008
8	यूपी32बीजी-2428	एम्बेसडर कार	2008
9	यूपी32बीजी-5187	एम्बेसडर कार	2008
10	यूपी65एजी-0455	एम्बेसडर कार	2010
11	यूपी32बीजी-2467	एम्बेसडर कार	2010

मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं-

- 1-नीलामी दिनांक 15.02.2021 को समय 11.00 बजे पीएमटी वर्कशाप सीतापुर परिसर में की जाएगी।
- 2-नीलामी में जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड फर्म वाले बोलीदाता को बोली लगाने का अधिकार होगा।
- 3-नीलामी में सम्मिलित होने हेतु नीलामी की तिथि को समय 11.00 बजे तक टोकन मनी रू0 20,000.00 कार्यालय में जमा कर टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टोकन प्राप्त करने का समय प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक नियत किया जाता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी, उसे छोड़कर अन्य सभी की जमा टोकन मनी बाद नीलामी वापस कर दी जाएगी।
- 3-वाहन "जैसी दशा में है जहाँ है" उसी प्रकार नीलाम किया जाएगा।
- 4-अन्तिम अधिकतम बोली जिस बोलीदाता के पक्ष में स्वीकार की जायेगी, उसे अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त नकद जमा करना होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई टोकन मनी की धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
- 5-उसी दिन बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त गाड़ी को अपने संरक्षण में लेना होगा।
- 6-क्रय किये गये वाहन को बोलीदाता द्वारा 24 घण्टे के अन्दर उठाना होगा। वाहन को सौंपे जाने के बाद विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7-किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।
- 8-अन्तिम बोली जिस बोलीदाता की स्वीकार की जायेगी उसे अधिकतम धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार अन्य देय शुल्क (जीएसटी आदि) का भुगतान करना होगा।
- 9-बोलीदाता द्वारा क्रय किये गये वाहन को 24 घण्टे के अन्दर यदि नहीं हटाया जाता है तो रू0 500.00 प्रतिवाहन की दर से प्रतिदिन का अतिरिक्त भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(आलोक श्रीवास्तव)

राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी
सीतापुर।